ज्ञान शांति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

जनसंपर्क कार्यालय

PUBLIC RELATIONS OFFICE

आज़ादी का अमृत महोत्सव

न्यायिक प्रक्रिया का किया जायेगा सम्मान

वर्धा, 28 सितंबर 2026: छः विद्यार्थी/शोधार्थी द्वारा मुख्यतः तीन बिंदुओं पर किये जा रहे अनधिकृत आंदोलन के दौरान दिनांक 20.08.2026 को विद्यार्थियों/शोधार्थियों द्वारा प्रशासनिक भवन के सभी दरवाजों पर ताले लगा दिये गये थे। इस अवधि में लगभग 4 घंटे तक कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, दो विदेशी विद्यार्थी समेत कर्मी व अधिकारी बंधक बना दिये गये थे। प्रशासन को 112 में फोन करके पोलिस में शिकायत दर्ज करनी पड़ी। पोलिस के आने के बाद तालों को तुड़वाया गया। कथित आंदोलनरत विद्यार्थियों/शोधार्थियों द्वारा कुलपति के वाहन के आगे-पीछे लेटकर और बैठकर कुलपति को कार्यालय से निकलने नहीं दिया गया। उक्त को संज्ञान में लेकर कुलानुशासक मंडल की अनुशंसा पर प्रशासनिक भवन में ताला लगाने तथा शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले छः विद्यार्थियों/शोधार्थियों पर विश्वविद्यालय को रामनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करनी पड़ी तथा उक्त विद्यार्थियों/शोधार्थियों का विश्वविद्यालय परिसर तथा छात्रावास से जांच होने तक प्रतिबंध लगाया गया। अनुशासन समिति की अनुशंसा पर माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई नागपुर खंडपीठ तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की एक सदस्यीय जांच समिति गठित की गई।

छः विद्यार्थियों/शोधार्थियों पर दर्ज करायी गयी प्राथमिकी को वापस लेने तथा उनके विश्वविद्यालय परिसर तथा छात्रावास में लगाये गये प्रतिबंध को समाप्त करने के संबंध में वंचित बहुजन अघाड़ी के श्री सुजात अंबेडकर ने कुलपति, कुलसचिव, वित्ताधिकारी, कुलानुशासक, सहायक कुलानुशासक से आज दिनांक 28.09.2026 को भेंट की। श्री सुजात अंबेडकर के साथ प्रशांत बोराडे, धीरज इंगळे, मोहित दामोदर, भुषण पाईकराव, संघर्ष संतोष, आतिश ढगे, आनंदराज घाडगे, चिंटू जयकारे, प्रेम बोराडे शामिल हुये। इस दौरान रामनगर थाने तथा वर्धा थाने के पोलिस निरीक्षक भी मौजूद थे। श्री सुजात अंबेडकर ने छः विद्यार्थियों/शोधार्थियों पर दर्ज करायी गयी प्राथमिकी को वापस लेने तथा उनके विश्वविद्यालय परिसर तथा छात्रावास में लगाये गये प्रतिबंध को हटाने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा गठित न्यायिक जांच समिति का वे सम्मान करते हैं और विश्वविद्यालय के आंतरिक मामला होने के कारण इस पर वे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। प्राथमिकी के मामले में वे जरूर दखल देंगे तथा उन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी द्वारा विद्यार्थियों/शोधार्थियों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने की बात भी कही। चर्चा के दौरान प्रशासन द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि उक्त विद्यार्थियों/शोधार्थियों के विरोध में प्रशासन ने 50 दिनों तक कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की तथा उनको कुलानुशासक मंडल, अधिष्ठाता विद्यार्थी कल्याण, कुलसचिव तथा परीक्षा नियंत्रक द्वारा समय-समय पर संवाद और बातचीत की जरिये समझाइश दी जाती रही। जब विद्यार्थियों/शोधार्थियों द्वारा 20.08.2026 को कानून अपने हाथ में लेकर प्रशासनिक भवन में ताले लगाये गये तथा कुलपति, कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक, दो विदेशी विद्यार्थी समेत कर्मियों व अधिकारियों को बंधक बनाया गया तथा शासकीय कामकाज में बाधा डाली गयी, तब विवश होकर प्रशासन को उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करानी पड़ी।

जहां तक विद्यार्थियों/शोधार्थियों की मूल मांगों का प्रश्न है उन्हें अवगत कराया गया कि 2022-23 से रुकी हुई पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया माननीय मुंबई उच्च न्यायालय, नागपुर खंडपीठ के द्वारा जारी आदेश के तत्काल बाद पूरी की गई तथा 2026-27 की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। कार्यपरिषद की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार फिल्म अध्ययन और स्त्री अध्ययन के पाठ्यक्रम सत्र 2027-28 से वर्धा मुख्यालय में चलाये जायेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मल्टीपल एंट्री-एग्ज़िट के तहत विद्यार्थियों को यह विकल्प उपलब्ध है कि वे एक वर्ष पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत सर्टिफिकेट, दो वर्ष पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत डिप्लोमा प्राप्त कर सकें।

पोस्ट हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001 (महाराष्ट्र), भारत

ई-मेल/E-mail: pro.mgahv@hindivishwa.ac.in **वेबसाइट/Website:** www.hindivishwa.org

दूरभाष : +91-7152-252651 मोबाइल/Mobile : 9960562305

श्री सुजात अंबेडकर ने इस बात पर जोर दिया कि छः विद्यार्थियों/शोधार्थियों पर दर्ज करायी गयी प्राथमिकी को वापस लेने तथा उनके विश्वविद्यालय परिसर तथा छात्रावास में लगाये गये प्रतिबंध को हटाया जाये। इस संबंध में उन्हें अवगत कराया गया कि चूंकि मामला न्यायिक प्रक्रियाधीन है तथा विश्वविद्यालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई नागपुर खंडपीठ तथा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की एक सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। इस पर तत्काल कार्यवाही किया जाना नियमसम्मत नहीं है। विश्वविद्यालय न्यायिक प्रक्रिया का पूर्णतः सम्मान करेगा तथा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच समिति द्वारा दी गई अनुशंसा का अनुपालन करेगा।